

Constitutional and Administrative Law of India

[भारत की सांविधानिक एवं प्रशासनिक विधि]

Time Allowed: 3 hours

Maximum Marks: 150

समय : 3 घण्टे

पूर्णांक : 150

All questions carry equal marks

सभी प्रश्नों के मान समान हैं

Answer six questions, selecting three from each Group

प्रत्येक खण्ड से तीन प्रश्नों का चयन पर कुल छः प्रश्नों के उत्तर दें

Group—A [खण्ड—क]

1. How far do you agree with the statement that "the term 'other authorities' in Article 12 has been given a wide interpretation by the Courts"?

आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हैं कि "संविधान के अनुच्छेद 12 में प्रयुक्त 'अन्य प्राधिकारी' शब्दावली का निर्वचन न्यायालयों ने विस्तार से किया है"?

2. Discuss the relationship between the Fundamental Rights and the Directive Principles of State Policy.

मूल अधिकारों एवं राज्य के नीति-निदेशक तत्त्वों के आपसी सम्बन्ध की विवेचना कीजिए।

3. In which circumstances does the Parliament become empowered to make a law under the State list? Also state whether in these circumstances the powers of the State Legislatures get suspended or become concurrent with Parliament.

किन परिस्थितियों में संसद राज्य सूची के अन्तर्गत विधि बनाने को अधिकृत हो जाती है? यह भी बताइए कि इन परिस्थितियों में राज्य विधानमण्डल की शक्तियाँ क्यों निलम्बित हो जाती हैं अथवा संसद के साथ समवर्ती हो जाती हैं।

4. What is meant by 'Proclamation of Emergency'? Also discuss the various effects of such Proclamation made under Article 352(1). 'आपात की उद्घोषणा' से क्या अभिप्रेत है? अनुच्छेद 352(1) के अन्तर्गत की गई ऐसी उद्घोषणा के विभिन्न प्रभावों की भी विवेचना कीजिए।

5. Write a detailed note on the Appellate Jurisdiction of the Supreme Court.

उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए।

Group—B [खण्ड—ख]

6. What is meant by 'Delegated Legislation'? Discuss the legislative and judicial control mechanism over delegated legislation.

'प्रत्यायोजित विधान' से क्या अभिप्रेत है? प्रत्यायोजित विधान पर विधायी एवं न्यायिक नियन्त्रण व्यवस्था की विवेचना कीजिए।

7. Explain 'Rule against Bias'. Discuss the various types of 'Bias'. Cite decided cases, where necessary.

'पक्षपात (झुकाव) के विरुद्ध नियम' को समझाइए। 'पक्षपात' की विभिन्न किस्मों की भी विवेचना कीजिए। जहाँ आवश्यक हो, निर्णीत वादों के उद्धरण दीजिए।

8. Discuss the nature and the characteristics of Administrative Tribunals.

प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की प्रकृति एवं उनकी विशेषताओं की विवेचना कीजिए।

9. Discuss the nature, scope and object of Public Interest Litigation in the light of some decided cases.

निर्णीत वादों के संदर्भ में लोकहितवाद की प्रकृति, विस्तार एवं उद्देश्य की विवेचना कीजिए।

10. Discuss the tortious liability of the State with the help of important judicial pronouncements.

महत्वपूर्ण न्यायिक विनिश्चयों की सहायता से राज्य के अपकृत्य दायित्व की विवेचना कीजिए।

